

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ, जिला-भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी नेहा छीपा (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 99/2025

### उनवान

1. शंकर लाल पुत्र श्री देबी जाति गाडरी नि० पातलियास तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)  
—प्रार्थीगण

### बनाम

1. श्री रामेश्वर पुत्र श्री रामा जाति जाट नि० पातलियास तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
2. श्री उदय लाल पुत्र श्री रूपा जाति जाट नि० पातलियास तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
3. श्री बंशी लाल पुत्र श्री रूपा जाति जाट नि० पातलियास तह० हमीरगढ जिला भीलवाडा (राज.)
4. श्री देबीलाल पुत्र श्री बालुदास वैष्णव जाति बैरागी नि० भांकलिया तह० कोटडी जिला भीलवाडा(राज.)
5. श्रीमती अनजा देवी पत्नि श्री नारायण लाल जाति गुर्जर नि० केवाडा तह० एवं जिला भीलवाडा(राज.)
6. श्रीमती गीता देवी पत्नि श्री नाथु लाल जाति गुर्जर नि० केवाडा तह० एवं जिला भीलवाडा(राज.)
7. श्री मुरली मनोहर रान्दडा पुत्र श्री बल्लभ जाति महाजन नि०-1-04-699 एल.बी. एस नगर बोधन जिला निजामाबाद तेलगाना।
8. श्री राजेन्द्र पुत्र श्री कन्हैया लाल नोलखा जाति महाजन नि० एल०एन०टी० रोड भीलवाडा(राज०)
9. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।(राज.)


—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 09-06-2025

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 19.05.2025 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 261 की आराजी नम्बर 359 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 360 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 360/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 361 रकबा 0.5437 हैक्टयर, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 363 रकबा 0.2655 हैक्टयर, आराजी नम्बर 364 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 365 रकबा 0.4173 हैक्टयर, आराजी नम्बर 366 रकबा 0.2908 हैक्टयर, आराजी नम्बर 367 रकबा 0.6196 हैक्टयर, कुल किता 10 रकबा 2.8956 हैक्टयर, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 20.05.2025 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 03 विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। विपक्षी संख्या 4,5,6,7,8 अदम तामील प्राप्त। इस पर अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा नियम सुनवाई पर उपस्थित होकर विपक्षी संख्या 4,5,6,7,8 के विरुद्ध कोई कार्यवाही नही चाहने का कथन रखते हुए ओदशिका पर अंकित किया गया। प्रार्थी का निवेदन स्वीकार कर प्रा.पत्र में विपक्षी कम 4,5,6,7,8 का नाम डिलीट/विलोपित करने की आज्ञा पारित की जाती है।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।



उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ

—:आदेश:—

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम ग्राम पातलियास पटवार हल्का पीपली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र मंगरोप तहसील हमीरगढ जिला भीलवाड़ा (राज०) की खाता संख्या 261 की आराजी नम्बर 359 रकबा 0.1644 हैक्टयर, आराजी नम्बर 360 रकबा 0.1770 हैक्टयर, आराजी नम्बर 360/1 रकबा 0.0253 हैक्टयर, आराजी नम्बर 361 रकबा 0.5437 हैक्टयर, आराजी नम्बर 362 रकबा 0.3161 हैक्टयर, आराजी नम्बर 363 रकबा 0.2655 हैक्टयर, आराजी नम्बर 364 रकबा 0.0759 हैक्टयर, आराजी नम्बर 365 रकबा 0.4173 हैक्टयर, आराजी नम्बर 366 रकबा 0.2908 हैक्टयर, आराजी नम्बर 367 रकबा 0.6196 हैक्टयर, कुल किता 10 रकबा 2.8956 हैक्टयर, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानो में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा मौका कमिश्नर फीस 1000/-रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें। आदेश आज दिनांक 09.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफतर रहे।



(नेहा छापा)  
उपनिवेश अधिकारी  
हमीरगढ (राज.)